वेज रिवीजन को लेकर सवाल और जवाब

सवाल:

तृतीय PRC की अनुशंसाओं के अनुसार BSNL को वेज रिवीजन की पात्रता नही है। 19.7.2017 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की मीटिंग में तृतीय PRC की अनुशंसाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या DOT को अधिकार है कि वह BSNL को अपने कर्मचारियों के वेज रिवीजन हेतु अनुमति दे ?

जवाब:

निःसंदेह, बीएसएनएल की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होने के नाते, बीएसएनएल कर्मियों के वेज रिवीजन में DOT की महती भूमिका है। फिर भी हमे यह समझना होगा कि बीएसएनएल कर्मियों के वेज रिवीजन के मामले में DOT शुरू से ही नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। यूनियन्स एवं एसोसिएशन्स के साथ साथ बीएसएनएल मैनेजमेंट ने भी तृतीय PRC के एफोरडीबिलिटी क्लॉज़ की छूट की मांग की थी । किन्तु सरकार इसे DOT की अनुशंसा के बगैर स्वीकार नही करेगी।

दिनांक 12.5.2017 को तृतीय PRC की अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में DOT की ओरसे उपस्थित एडिशनल सेक्रेटरी श्री सिवसेलम ने बीएसएनएल के लिए तृतीय PRC के एफोरडीबिलिटी क्लॉज़ के छूट की मांग नही की। तदनुसार कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने किसी भी पीएसयू को इस संबंध में छूट नही दी । अतः, हमे समझ जाना चाहिए कि बीएसएनएल को तृतीय PRC की अनुशंसाओं में किसी भी प्रकार की छूट देने के पक्ष में DOT नही था।

कुछ समय बाद कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट कैबिनेट नोट DOT को पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। इस तरह बीएसएनएल की मदद करने का एक और अवसर DOT को प्राप्त हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तृतीय PRC की अनुशंसाओं में बीएसएनएल को एफोरडीबिलिटी क्लॉज़ की छूट हेतु कैबिनेट नोट में DOT द्वारा अपनी अनुशंसा अंकित करनी चाहिए थी। किन्तु DOT ने ऐसा नही किया। इससे यह स्पष्ट है कि DOT स्वयं बीएसएनएल कर्मियों को वेज रिवीजन देने का इच्छुक नही है। अतः कोई भी यह कहता है कि कैबिनेट द्वारा DOT को बीएसएनएल कर्मियों के वेज रिवीजन हेतु अधिकार दे दिए होंगे, तो या तो वह स्वयं को या कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहा है।

केवल बीएसएनएल कर्मियों का प्रभावशाली संघर्ष ही DOT और NDA सरकार को वेज रिवीजन के निराकरण हेतु बाध्य कर सकता है।